झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष सं0 :–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल :–ndc-deoghar@jharkhandmail.gov.in

खुली नीलामी हेतु आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को सूचित किया जाता है कि समाहरणालय, देवघर एवं अन्य विभागीय वाहनों का नीलामी हेतु दिनांक 06.07.2019 को समाचार पत्रों एवं जिला के बेवसाईट पर प्रकाशित किया गया था। नीलामी की सर्तें पूरा नहीं होने के कारण नीलामी की प्रकिया नहीं किया जा सका था, पुनः जिला स्तरीय नीलामी समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 14.09.2019 को 11:00 बजे पूर्वा० में अपर समाहर्त्ता, देवघर के अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में निम्न वर्णित वाहनों (जो जहाँ है, एवं जिस स्थिति में) की नीलामी उल्लेखित शर्त्तों के आधार पर किया जायेगा।

क्र०	निबंधन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन कहाँ है	निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5
1	JH 15A 3002	स्पेसियो	उपायुक्त गोपनीय शाखा	50,000.00
2	JH 15A 6262	स्पेसियो	उपायुक्त गोपनीय शाखा	50,000.00
3	JH 15A 2002	ऐम्बेसेडर	उपायुक्त गोपनीय शाखा	20,000.00
4	JH 15A 6009	स्पेसियो	उपायुक्त गोपनीय शाखा	47,000.00
5	JH 15A 2842	जिप्सी	उपायुक्त गोपनीय शाखा	35,000.00
6	JH15B 0295	टाटा सुमो	जिला खनन पदाधिकारी, देवघर।	60,000.00
7	JH15A 9696	टाटा स्पेसियो	दण्डाधिकारी आवास क्वाटर–D2	30,000.00
			योग :–	**292,000.00**

शर्तें :–

1. उपर्युक्त वाहनों को जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, इच्छुक व्यक्ति, फर्म/प्रतिष्ठान स्वयं देख सकते हैं।
2. सभी वाहनों की नीलामी संयुक्त रूप से एक साथ ही अथवा अलग–अलग उच्चतम डाकवक्ता को की जायेगी।
3. इच्छुक व्यक्ति, फर्म/प्रतिष्ठान डाक में शामिल होने हेतु वाहन के निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 20% राशि जिला नजारत में अग्रिम जमा करेंगे तथा रसीद प्राप्त करते हुए रसीद के साथ अपना आवेदन दिनांक 13.09.2019 को 5:00 बजे अप० तक जिला नजारत के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
4. नीलामी के उच्चतम बोली के आधार पर जिन्हे वाहन दी जायेंगी, उन्हे उसका उठाव के पूर्व शेष बकाया सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जिला नजारत में जमा करना होगा। शेष आवेदनकर्त्ता जिन्होंने डाक में शामिल होने हेतु राशि जमा किया हो, उन्हें नीलामी की कार्रवाई सम्पन्न होने के उपरान्त दिनांक 14.09.2019 को ही 5:00 बजे अपराह्न तक राशि वापस कर दी जायेगी।
5. अग्रिम राशि जमा करने के पश्चात आवेदनकर्त्ता अगर नीलामी में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. वाहनों का उठाव जो वाहन जहाँ है वहीं से अपने खर्च एवं जोखिम पर करेंगे। नियमानुसार अतिरिक्त झारखंड बिक्री कर 12%(GST) वाहन उठाव से पूर्व वसूल कर ली जायेगी।
7. सभी वाहन नीलामी की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।
8. डाक नीलामी में तिथि, समय, स्थान आदि में परिवर्तन/रद्द/स्वीकृत/अस्वीकृत आदि करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. विवाद होने की स्थिति में उसका अंतिम निपटारा स्थल देवघर रहेगा।
10. सशर्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. वाहन की वर्त्तमान पंजीकरण संख्या क्रेता को सौंपी नहीं जायेगी एवं क्रेता को इसके अन्यान्य इस्तेमाल के पूर्व जिला परिवहन कार्यालय, देवघर से इसका निबंधन रद्द कराने एवं अन्य नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा।

29.8.19

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता
देवघर

29/8/19

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

D:\Nazarat\Vehicle\Niwida.docx